

दिनांक

आज्ञा पत्र

28.9.22

पत्रावली पेश। पत्रावली को अपील की तारीख शेष है। इस हेतु अपीलेंट शेष पत्रावली के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रतरी निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 29.6.22 को पेश हों।

*[Handwritten signature]*

29.6.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 29.6.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.6.22 को पेश हो।

7.11.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 7.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 7.11.22 को पेश हो।

30.1.22

पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष पत्रावली के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलेंट ने शेष पत्रावली के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलेंट अपील को प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसेल सुनार होकर नया नंबर कान होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्डियन)

